International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Volume 01, No. 03, July - September, 2019, pp.205-210

vk"kf/k m|kx e 0;kolkf;d uhfrdrk

डॉ. ललिता परिहार *

सार

व्यावसायिक नैतिकता से आशय किसी भी व्यवसाय के व्यावसायिक आचरण एवं व्यवहार से है। व्यावसायिक नैतिकता समाज एवं अन्य विभिन्न वर्गों, उपभोक्ताओं, समूहो, एवं संस्थाओं के साथ समन्वित उचित प्रबन्ध बनाए रखने की एक कला है साथ ही व्यवसाय द्वारा उचित एवं सही व्यवहार करने का एक नैतिक उत्तरदायित्व भी है। धर्मशास्त्र, व्यावसायिक नैतिकता का आधार हे। यह सामाजिक कल्याण व नैतिक मूल्यों जैसे – सत्य, ईमानदारी, न्याय, समानता पर आधारित है। किसी भी व्यवसाय की दीर्घकालीन सफलता का सम्बन्ध व्यावसायिक नैतिकता के पालन से होता है। औषधि उद्योग सामाजिक और आर्थिक विकास के साथ मनुष्य के स्वास्थ्य से जुड़ा व्यवसाय है। भारतीय औषधि उद्योग में जेनरिक मेडिसिन या ब्राण्ड वाली दवाएँ व चिकित्सा उपकरण का निर्माण व विपणन किया जाता है। भारतीय औषधि उद्योग घरेलू मांग की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ–साथ, अनुसंधान, क्लीनीकल ट्रायल शोध एवं विकास और विकसित एवं विकासशील देशों के बाजारों में निर्यात के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त कर रहा है। औषधि उद्योग एक सेवा प्रधान उद्योग है। औषधि व्यवसायी द्वारा वितरक, थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता, ई–कामर्स आदि के द्वारा जीवन रक्षक औषधियों का उपभोक्ताओं को विक्रय व विपणन किया जाता है। इनके द्वारा अपने नैतिक दायित्व को पूरा करते हुए उचित मूल्य पर विभिन्न जेनेरिक व ब्राण्डेड औषधियों को मरीज व उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जाती है। किन्तु कई औषधि व्यवसायी नकली औषधियों का निर्माण कर घटिया सामग्री से निर्मित औषधि अधिक मूल्य पर बेचते हैं। इन पर सरकारी नियत्रंण व कड़े कानून की आवश्यकता है तथा उपभोक्ता को ओर अधिक जागरुक होने की आवश्यकता है। प्रस्तुत शोध पत्र में औषधि उद्योग में व्यावसायिक नैतिकता का महत्व बनाते हुए व्यावसायिक नैतिकता के पालन में आने वाली विभिन्न समस्याओं का अध्ययन कर उन्हें दूर करने हेतु सुझाव प्रस्तुत किए जाएँगे।

कुन्जी शब्दः– *ई–कामर्स, औषधि उद्योग, सामाजिक और आर्थिक विकास, यावसायिक नैतिकता।*

प्रस्तावना

व्यवसाय ऐसा कार्य है जिसके द्वारा किसी जीविका का निर्वाह होता है। यह एक मानवीय आर्थिक क्रिया है जिसका उद्देश्य अनिश्चितता के वातावरण में वस्तुओं और सेवाओं के नियमित एवं निरन्तर उत्पादन, विनिमय, हस्तान्तरण अथवा विक्रय द्वारा समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करके उचित लाभ कमाया जाता है। जिन नियमों की स्वीकृति समाज में आचरण एवं परम्पराओं से होती है, उसे नैतिकता कहा जाता है। नैतिकता शब्द कर्त्तव्य की आन्तरिक भावना पर बल देता है नैतिकता न्यास, पवित्रता, शुद्धता और सत्यता के सिद्धान्त पर आधारित है। न्याय, ईमानदारी, सच्चाई निष्पक्षता कर्त्तव्यपरायणता, अधिकार–स्वतन्त्रता, दया और पवित्रता आदि नैतिक धारणाएँ है, जो समय और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होती है। इन धारणाओं को जब व्यावसायिक क्षेत्र में लागू किया जाता है तो इसे व्यावसायिक नैतिकता या सदाचार कहते है। इस प्रकार व्यावसायिक

* व्यावसायिक प्रशासन, संकाय अधिष्ठाता, वाणिज्य विभाग, राजकीय महाविद्यालय जोधपुर, राजस्थान।

नैतिकता से आशय किसी भी व्यवसाय के व्यावसायिक आचरण एवं व्यवहार से है। प्रत्येक व्यवसाय में नीतियों का निर्धारण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि वे सामाजिक हितों में वृद्धि करे। व्यावसायिक नैतिकता समाज एवं अन्य विभिन्न वर्गो, समूहों एवं संस्थाओं के साथ समन्वित उचित प्रबन्ध बनाये रखने की एक कला हैं तथा साथ ही व्यवसाय द्वारा उचित एवं सही व्यवहार करने का एक नैतिक उत्तरदायित्व है। व्यावसायिक नैतिकता कोई नवीन विचार नहीं है प्रारम्भ में व्यवसायी अपनी कमाई का स्कूल, गिरिजाघरो, गरीबों के उत्थान हेतु खर्च करते थे धर्मशास्त्र, इसका आधार है।

भारतीय औषधि उद्योग का भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम 1940 के प्रावधानों व पेटेन्ट सम्बन्धी शर्तो का पालन करते हुए विभिन्न औषधि निर्माताओं द्वारा एलोपेथी, होम्योपैथी व आर्युवैदिक औषधियों का उत्पादन एवं वितरण किया जाता है किसी भी भारतीय कम्पनी द्वारा स्वास्थ्य मत्रांलय द्वारा औषधि का उत्पादन करने सम्बन्धी लाइसेन्स प्राप्त करके ही औषधि का उत्पादन व विपणन किया जा सकता है। औषधि उद्योग मनुष्य के स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक–विकास से जुड़ा व्यवसाय है, भारतीय औषधि उद्योग घरेलू मांग की जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ अनुसंधान, क्लीनीकल ट्रायल शोध एवं विकास के साथ विकसित एवं विकासशील देशों के बाजारों में औषधि निर्यात में भी सफलता प्राप्त कर रहा है। भारतीय औषधि बाजार विश्व का तीसरा सबसे बड़ा और कीमत के क्षेत्र में 13वाँ सबसे बड़ा बाजार है। औषधि उद्योग एक सेवा प्रधान उद्योग है। औषधि व्यवसायी द्वारा वितरक/थोक विक्रेता व ई–कॉमर्स द्वारा जीवनरक्षक औषधियों का अस्पताल व उपभोक्ताओ की विक्रय व विपणन किया जाता है।

औषधि उद्योग में व्यवसायिक नैतिकता का पालन औषधि निर्माता द्वारा अच्छी सामग्री या पदार्थ का प्रयोग कर प्रयोगो की विधि, अच्दी किस्म की सुदृढ़ पैकिंग लेबलिंग व निर्देश देकर कम कीमत पर औषधि उपलब्ध कराना होता है। इसमें औषधि निर्माता के साथ वितरक, थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी व चिकित्सक का भी औषधि उद्योग व्यावसायिक नैतिकता के पालन में योगदान देते है।

उद्देश्यः

- प्रस्तुत शोधपत्र में यह जानने का प्रयास किया गया है कि औषधि उद्योग में व्यावसायियों द्वारा व्यावसायिक नैतिकता का पालन कितना किया जा रहा है।
- औषधि उद्योग में व्यावसायिक नैतिकता का पालन किस प्रकार किया जा सकता है।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध–पत्र में द्वितीयक संमकों के साथ–साथ अवलोकन विधि एवं साक्षात्कार विधि का प्रयोग किया जाएगा।

औषधि उद्योग में व्यावसायिक नैतिकता का महत्व

- औषधि उद्योग स्वास्थ्य व सेवा प्रधान उ़द्योग है जिसमें व्यवसायी नैतिकता का पालन करते हुए उच्च किस्म और कम कीमत पर अच्छी पैकिंग कर मरीजो व उपभोक्ताओं को औषधियाँ उपलब्ध कराते है।
- भारतीय कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुसार प्रत्येक कम्पनी को अपने तीन वर्षो के लाभ का 2 प्रतिशत तक धनराशि CSR या सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए खर्च करनी आवश्यक है। व्यावसायिक नैतिकता सामाजिक उत्तरदायित्व के कार्यो को बल देती है। औषधि निर्माता अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का पालन कर समाज एवं इसके विभिन्न वर्गो व संस्थाओं के साथ सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखने का प्रयास करता है।
- औषधि उद्योग में व्यावसायी द्वारा व्यावसायिक नैतिकता का पालन करते हुए कैंसर, ब्रेन टयूमर, जैसी जटिल बीमारियों क इलाज के लिए शोध व विकास कर नयी औषधि का निर्माण श्रेष्ठ सामाजिक लक्ष्यों को पूरा किया जाता है।

- औषधि उद्योग में व्यावसायिक नैतिकता नैतिक मूल्यों व आदर्शो का पालन करने पर जोर देती है। जिससे व्यक्तियों व समाज का विकास होता है।
- औषधि उद्योग में व्यावसायिक नैतिकता द्वारा व्यवसाय में उच्च नैतिक मानदण्डों व आदर्शो की स्थापना की जाती है। नैतिकता ही व्यवसाय में अच्छे व बुरे, सही और गलत निर्णयों, कार्यो व साधनों की व्याख्या करता है व व्यवसाय का मार्गदर्शन करता है
- औषधि उद्योग में विभिन्न सरकारी कानून व नियमों, नीतियों का पालन करने के लिए व्यावसायिक नैतिकता आवश्यक है।
- औषधि उद्योग में व्यावसायिक नैतिकता का पालन करने से विक्रय व विपणन में वृद्धि होती है तथा मरीज का किसी औषधि विशेष से विश्वास होने पर व उन्हीं औषधियों का क्रय करते है।
- औषधि उद्योग में व्यावसायिक नैतिकता का पालन करने से कम्पनी की साख में वृद्धि होती है तथा एक अच्छी छवि का निर्माण होता है।
- औषधि उद्योग में घटिया क्वालिटी की या नकली औषधि होने पर या अधिक कीमत की औषधि होनें पर या व्यावसायिक नैतिकता का पालन नहीं करने से उस औषधि के प्रति लोगों का विश्वास उठ जाता है और व्यावसायिक निष्पादन व लाभदेयता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।
- औषधि उद्योग में प्रतिस्पर्द्धा में सफलता प्राप्त करने के लिए व विभिन्न वैधानिक
- प्रावधानों का पालन करने के लिए व्यावसायिक नैतिकता का पालन आवश्यक है
- औषधि उद्योग की स्थापना व विकास के लिए सरकार द्वारा अनेक सुविधाएँ व सहायता प्रदान की जाती है। जैसे भूमि, ऋण, वित्त, विक्रय सम्बन्धी इन सुविधाओं का प्रयोग करने, कर्मचारियों को कार्य–स्थल पर अच्छा कार्य वातावरण उपलब्ध कराने, प्रदूषण नियन्त्रण करने, लोगों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए व्यावसायिक नैतिकता का पालन आवश्यक है।

औषधि उद्योग में व्यावसायिक नैतिकता का आलोचनात्मक मूल्याकंनः– औषधि उद्योग में औषधि निर्माता द्वारा उपभोक्ताओं को औषधि का विक्रय व विपणन प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों माध्यम द्वारा किया जाता है।

प्रत्यक्ष वितरण माध्यम

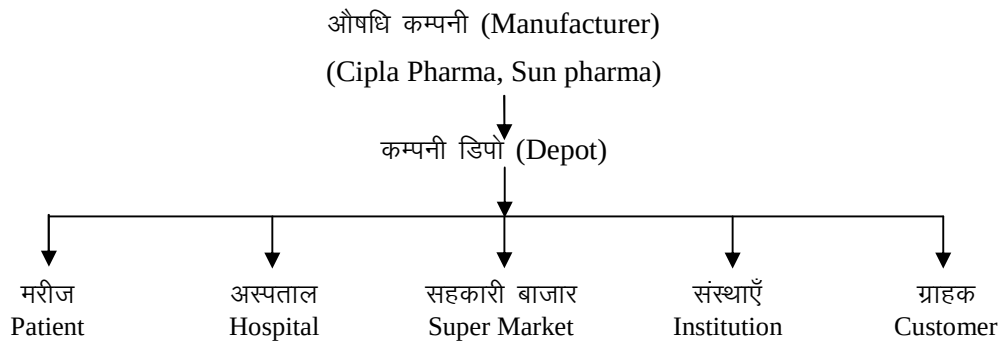

अप्रत्यक्ष वितरण माध्यम

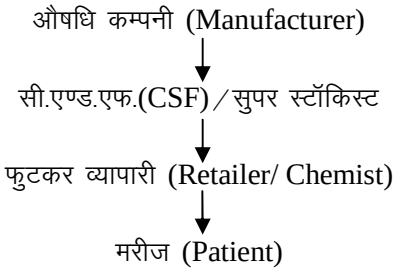

ई–कॉमर्स (E-Commerce)

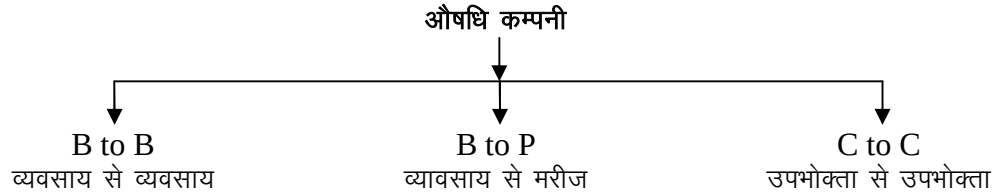

अप्रत्यक्ष माध्यम के अन्तर्गत औषधि निर्माता द्वारा औषधियों का विक्रय वितरक को किया जाता है। इन इन स्टाकिस्ट के द्वारा थोक–व्यापारी व फुटकर व्यापारियों को औषधि का विक्रय व विपणन किया जाता है।

- औषधि निर्माता द्वारा व्यावसायिक नैतिकता का पालन– औषधि अधिनियम व विभिन्न सरकारी अधिनियमों व वैधानिक कानूनों का पालन करते हुए औषधि का निर्माण, उत्पादन व विपणन किया जाता है। औषधि निर्माता स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा कर रहे है तथा अन्य औषधि कम्पनियों के हितों की रक्षा करते है। औषधि कम्पनियाँ औषधि में उपयुक्त व अच्छी किस्म के पदार्थ या सामग्री का प्रयोग कर औषधि निर्माताओं द्वारा मध्यस्थों एवं चिकित्सको, विक्रयकर्त्ताओं को विभिन्न उपहार व वित्तिय व अवित्तिय प्रेरणा प्रदान की जाती है। उत्तम पैकिंग कर, उपयुक्त निर्देशन लेबल लगाा अस्पताल, उपभोक्ता, मरीज, वितरक, स्टोकिस्, विक्रय व विपणन करते है। कई औषधि निर्माताओं द्वारा औषधि उद्योग हेतु सरकार द्वारा दी गई छूट का उपयोग कर औषधि कम्पनी तो बना जी जाती है पर व घटिया सामग्री पदार्थ का प्रयोग कर निम्न किस्म की औषधि का निर्माण किया जाता हैं आक्रमक और भ्रामक व सूचनायुक्त विज्ञापन द्वारा उपभोक्ता को भ्रमित किया जाता है। लाभ कमाने के लिए ब्राण्डेड औषधियों से मिलता–जुलता नाम रखा जाता है व पैकिंग की जाती है। उपभोक्ता को इसका पता नहीं चलता है। नशीली दवाओं का व्यापार व प्रतिबन्धित दवाओं का व्यापार भी किया जाता है।
- वितरक/स्टोकिस्ट द्वारा व्यावसायिक नैतिकता का पालन– औषधि निर्माता द्वारा स्टोकिस्ट नियुक्त किये जाते है ये थोक व्यापारी को बड़ी मात्रा में औषधि का विक्रय करते है। इन स्टोकिस्ट को औषधि निर्माता द्वारा औषधियों पर विभिन्न प्रकार के छूट व स्कीम दी जाती है। जिन्हें ये थोक–व्यापारियों को नहीं देते है। विज्ञापन सामग्री, डायरिया, पेन, कलैण्डर आदि गिफ्ट दिए जाते है। बिल में कटौती की सुविधाए आदि ये थोक व्यापारियों को नहीं देते है। ये सीधे ग्राहक को औषधि का विक्रय नहीं करते है। किसी बीमारी व महामारी होने पर अनावश्यक रूप से औषधि विशेष की कमी कर देते है या मूल्य अधिक वसूलते है। नकद भुगतान वाले व्यापारी को प्राथमिकता दी जाती है।
- थोक व्यापारियों द्वारा व्यावसायिक नैतिकता का पालन– औषधि उद्योग में थोक व्यापारी किसी औषधि कम्पनी के स्टोकिस्ट से औषधियाँ क्रयकर फुटकर व्यापारी को बेचते है इसमें ये अपना लाभ जोडते है जिससे औषधि का मूल्य बढ़ जाता है। इन्हें स्टोकिस्ट द्वारा पोस्टर्स, कैलेण्डर, डायरी और निःशुल्क विक्रय प्रतियोगिताए व गिफ्ट दिए जाते है। जिन्हें यह फुटकर व्यापारियों को नहीं देते है।
- फुटकर व्यापारियों द्वारा व्यावसायिक नैतिकता का पालन– फुटकर व्यापारी उपभोक्ता को चिकित्सक द्वारा (प्रेस्क्राइब) लिखी औषधि उपलब्ध न होने पर दूसरी औषधि दे देते है। फुटकर व्यापारी कई औषधि कम्पनियों की औषधियों का विक्रय करते है। वे ब्राण्डेड औषधियों की जगह जेनरिक औषधिया उपभोक्ता को देते है और अधिक मूल्य वसूलते है इनके द्वारा प्रतिष्ठित औषधि कम्पनी की दवाई की जगह वैसी ही पैकिंग व मिलते–जुलते नाम की डुप्लिकेट दवाईया ग्राहक को दे देते है जिसे प्रत्येक ग्राहक समझ नहीं पाते है। इनके द्वारा प्रतिबन्धित व नकली दवाइयों का भी विक्रय किया जाता है। चिकित्सक को कमीशन व फ्री गिफ्ट देकर औषधि विशेष (प्रेस्क्राइब) पर्ची पर लिखवाते है। और ग्राहक पर दबाव डाला जाता है कि वह उस दुकान विशेष से औषधि क्रय करें। मंहगी दवाइयों का प्रयोग न होने पर उसे वापस नहीं लेते है।

- ई–कॉमर्स में नैतिकता का पालन– औषधि उद्योग में ई–कॉमर्स के माध्यम से ग्राहक को औषधि का विक्रय व विपणन किया जाता है ग्राहक विज्ञापन व बीमारी के आधार या चिकित्सक द्वारा बताई औषधि को घर बैठे, सीधे औषधि विक्रेता कम्पनी को आदेश देकर मंगा देते है इसमें उपभोक्ता को यह जानकारी नही होती है कि औषधि वास्तव में सही है या नही। निश्चित समय के बाद औषधि (रिफण्ड) लौटाई नहीं जा सकती है। भ्रामक विज्ञापन से मूल्य कम रखा जाता है।

औषधि उद्योग में व्यावसायिक नैतिकता के पालन में चुनौतियाँ/समस्याएं

- औषधि उद्योग में औषधियों की मार्केटिंग/विपणन की कोई स्पष्ट नीति नहीं है। भ्रामक जानकारी दी जाती है
- औषधि उ़द्योग में औषधि निर्माता द्वारा औषधि विशेष मरीज को उपचार हेतु लिखने हेतु महँगे गिफ्ट और विदेशों के फ्री टूर पैकेज दिए जाते है।
- जेनरिक औषधि की जगह ब्राण्डेड औषधि मरीजों/ग्राहकों को विक्रय कर अधिक मूल्य वसूल कर लाभ कमाते है।
- ग्राहकों को दिए जाने वाले फ्री गिफ्ट जैसे डायरियाँ, पेन, पोस्टर्स, नहीं देते है।
- मंहगी औषधियों का उपयोग में नहीं लेने पर ग्राहकों से वापस नहीं लेते है।
- नकली व प्रतिबन्धित औषधियों का विक्रय व विपणन किया जाता है।
- एक ही औषधि का निर्माण कई औषधि कम्पनियों द्वारा किया जाता है। जिनकी कीमतें अलग–अलग होती है।
- औषधि उद्योग में औषधि निर्माता स्टॉकिस्ट थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारियों द्वारा वैधानिक कानूनों व नियमों का पालन नहीं किया जाता है।
- औषधि उद्योग में CSR, सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए निःशुल्क चिकित्सा शिविर, फ्री चैकअप व फ्री मेडीसीन की खानापूर्ति की जाती है।
- औषधि उद्योग में औषधि में मिलावट वाली सामग्री का प्रयोग करना, भ्रामक विज्ञापन देना करों का भुगतान न करना, ग्राहकों का शोषण करना आदि कार्य किए जाते है।
- औषधि उद्योग में प्रतिस्पर्द्धा बहुत बढ़ गई है और लाभ कमाने के लिए नैतिकता का पालन नहीं किया जाता है गर्भपात व नींद की गोलिया, नशे की गोलिया बॉडी बनाने की औषधियों का विक्रय किया जाता है।
- औषधि नियत्रंक (ड्रग इन्सपेक्टर) को औषधि की दुकानों पर फार्मासिस्ट की उपस्थिति से सम्बन्धित गलत सूचनाएं दी जाती है।

सुझाव

- औषधि उद्योग में औषधि कम्पनियों द्वारा बनाये गए विभिन्न सरकारी कानून का पालन करने हेतु उन पर कड़ा वैधानिक नियन्त्रण स्थापित किया जाना चाहिए नियमों का पालन नहीं करने पर लाइसेन्स रद्द कर देना चाहिए
- भ्रामक विज्ञापन, अधूरी जानकारी, नकली औषधियों का विक्रय व विपणन करने वाली कम्पनियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जानी वाहिए।
- उपभोक्ता के सेमीनार, संगोष्टीयाँ आयोजित कर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए।
- सरकार द्वारा अस्पतालों में सभी बीमारियों की दवाइयाँ कम मूल्य पर उपलब्ध करानी चाहिए ताकि औषधि नहीं मिलने पर उन्हें महंगी दवाइयाँ खरीदनी पडती है।
- प्रत्येक औषधि स्टाकिस्ट, थोक व्यापारी व फुटकर व्यापारियों का औषधि नियत्रंक (ड्रग इन्सपेक्टर) व उत्तरदायी अधिकारी द्वारा समय–समय पर निरीक्षण किया जाना चाहिए।

- नशीली दवाइयों का व प्रतिबन्धित दवाइयों का व्यापार करने वाले वितरक, फुटकर व्यापारी का लाइसेन्स रद् कर भविष्य में औषधि व्यापार करने पर रोक लगा देनी चाहिए।
- औषधि कम्पनियों द्वारा शोध एवं विकास पर खर्च कर ह्रदय, फेफडे व कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज के लिए नयी औषधियों का निर्माण करना चाहिए।
- महामारी व बीमारियों की औषधियों की आवश्यक पूर्ति माँग के अनुरूप होनी चाहिए।
- विभिन्न उद्योग संघो द्वारा सभी मेम्बर्स के लिए एक नैतिक आचार–संहिता बनानी चाहिए।
- सरकार द्वारा औषधि उद्योग में व्यावसायिक नैतिकता का पालन करने वाले व्यवसायियों का सम्मान किया जाना चाहिए।
- अनुचित व अवैध कार्यो द्वारा लाभ कमाने वाले व्यवसायी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही कर दण्डित किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

किसी भी व्यवसाय की स्थापना लाभ कमाने के लिए ही की जाती है लेकिन वर्तमान प्रतिस्पर्द्धा में वही व्यवसायी लाभ प्राप्त कर सकता है जो नैतिकता से व्यवसाय करे औषधि उद्योग मनुष्य के स्वास्थ्य, स्वस्थ जीवन व सेवा से जुड़ा व्यवसाय है। औषधि उद्योग में व्यावसायिक नैतिकता व्यक्तिगत हितों व सामाजिक हितों में सामन्जस्य स्थापित करती है। औषधि उद्योग में ग्राहकों के प्रति सद्व्यवहार व नैतिकतापूर्ण व्यवहार ही किसी व्यावसायिक उद्यम को दीर्घकालीन सफलता प्रदान करता है औषधि उद्योग में औषधि निर्माता, वितरक, थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी व ई–कॉमर्स द्वारा औषधि व्यवसाय में व्यावसायिक नैतिकता का पालन किया जा रहा है लेकिन फिर भी अभी भी औषधि उद्योग में विभिन्न व्यवसासियों को अपनी व्यावसायिक नैतिकता के पालन में स्वप्रेरणा व सामाजिक हित को ध्यान में रखते हुए अपने दायित्व के प्रति और अधिक जागरूक होने की आवश्यकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- विपणन के सिद्वान्त– जे.आर.एल. नौलखा
- दवा चर्चा
- राजस्थान पत्रिका
- (जोधपुर कैमिस्ट एसोसिएसन)
- श्री शान्तिलाल जी – फार्मासिस्ट/ फुटकर व्यापारी
- श्री ओमप्रकाश खण्डेलवाल
- अध्यक्ष, जोधपुर केमिस्ट एसोसिएशन
- जीतेन्द्र सिंह – मेडिकल रिप्रजेन्टेटिव
- श्री महेश पितानी – मेडिकल स्टॉकिस्ट
- Pharma Affairs

❖◆❖